पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं०–14/16 257

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची,
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 08.02.17

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–70–ई गवर्नेंस, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय 59 अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष **2016–17** में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2016–17** में परिशिष्ट–1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष	उप शीर्ष/ विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड़	आवंटित राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग/ 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80–सामान्य/ 796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना	70–ई–गवर्नेन्स, 07–अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय 49P470180796700759	5.858	

आवंटित राशि – ₹ पाँच लाख पचासी हजार आठ सौ मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष **2016–17** के बजट उपबंध **रू० 100.00 लाख (एक करोड़ लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 तथा 2747(वि०), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय **विभागीय पत्रांक 1/पी०एम०सी०/कार्य/816/13–76/16–17 प्र० स्वी०, राँची, दिनांकः 13.01.2017 द्वारा प्रदत्त** प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम एवं तकनीकी स्वीकृति के अर्न्तगत परिशिष्ट–I के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2017 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

Sukhdev Singh 7/2/17
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 257 रॉची, दिनांक :– 08-02-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev Singh 7/2/17
(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 257 रॉची, दिनांक :– 08-02-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	**(सुखदेव सिंह)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	**प्रधान सचिव**

विभागीय पत्रांक :– 257 दिनांक :– 08-02-17 परिशिष्ट :– 1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष –796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना
उप शीर्ष –70–ई॰ गवर्नेंस,
विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59–अन्य व्यय, 49P470180796700759
वित्तीय वर्ष 2016–17 में बजट उपबंध 100.00 लाख (एक करोड) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र॰ सं॰	कार्यालय का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग/राशि		मार्च 2016 तक व्यय	वर्ष 2016–17 में निर्गत आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जलपथ प्रमंडल, रॉंची (DRNMID043)	रॉंची	E-Governance के अन्तर्गत प्रधान सचिव कोषांग, विधि कोषांग, जल संसाधन विभाग, रॉंची एवं विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु आवश्यक उपकरण के क्रय हेतु।	1/पी॰एम॰सी॰/कार्य/816/2013–76/16–17 प्र॰ स्वी॰, रॉंची, दिनांकः 13.01.2017	5.85800	0.00	0.000	4.405	4.405	**90395**	आवंटित राशि परिशिष्ट–2 में वर्णित कार्यों हेतु।
2	गुण नियंत्रण प्रमंडल, रॉंची (DRNMID007)					0.00	0.000	1.453	1.453	**90396**	
					कुल योग	**0.00**	**0.000**	**5.858**	**5.858**		
आवंटित राशिः– ₹ पाँच लाख पचासी हजार आठ सौ मात्र।											

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 7/2/17
प्रधान सचिव

पत्रांक :– 257 दिनांक 8-2-17 का अनुलग्नक परिशिष्ट – 2

विपत्र कोर्ड – 49P470180796700759

क्र॰	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	अधिष्ठापन का स्थान	संख्या	राशि (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMID043)	E-Governance के अन्तर्गत प्रधान सचिव कोषांग, विधि कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची एवं विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु आवश्यक उपकरण के क्रय हेतु।	Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuation - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	विभागीय प्रधान सचिव कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची	1	54000	
			Printer (HP Laserjet 1020)		1	10000	
			UPS - 600 VA		1	4000	
			Photocopier (Duplex) with Stablizer & Wooden Trolley (Digital Copier with Printer (Size A-3)		1	90000	
			Desktop Computer (Brand - Dell/Lenovo/HP, Prosessor Core i5 Intel (5th Generation), RAM-4GB, Hard Disk-1TB & Above, Graphics Co-Processor - 2GB & Above (Didicated), Operating System - Window 8/10, Monitor Size - 19.5 Inches)	विभागीय कोट केश प्रबंधन कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची	1	66000	
			Printer (HP Laserjet 1020)		1	10000	
			Scanner (HP (A4) / Canan LIDE 110 (A4)		1	6000	
			UPS - Brand - APC Additional Feature - Output Power Capcity 360 Watts/600V Max. Voltage Amps - 600 VA Voltage Compatibility - 220V, 230V, 240V Max Wattage - 360 Watts		1	4000	
			Computer Table (Godrej Made, T-8 Modal)		1	12500	
			Chair (Godrej Made, 8561 Bravo-Model)		2	20000	
			Jharnet / Broadband Connection		LS	6000	
			Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuation - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, जलपथ प्रमंडल, राँची	1	54000	
			Printer (HP Laserjet 1020)		1	10000	
			UPS - 600 VA		1	4000	
			Photocopier (Duplex) with Stablizer & Wooden Trolley (Digital Copier with Printer (Size A-3)		1	90000	
				Total		**440500**	
2	गुण नियंत्रण प्रमंडल, राँची (DRNMID007)	E-Governance के अन्तर्गत प्रधान सचिव कोषांग, विधि कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची एवं विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु आवश्यक उपकरण के क्रय हेतु।	Desktop Computer (with preloaded Operating System) (Configuation - Intel Core i7, Operating System : Microsoft Windows-8)	कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, रूपांकण प्रमंडल संख्या–2, राँची	1	54000	
			UPS - 600 VA		1	4000	
			HP Laser All in One Printer Specification - Print/Scan/Copy/Fax		1	16000	
			Digital Copier with Printer (Size A-3) Minimum Copying speed (cpm) : 20/20		1	71300	
				Total		**145300**	
				Grand Total		**585800**	

कुल आवंटित राशि:– ₹ पाँच लाख पचासी हजार आठ सौ मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि॰)

(सुखदेव सिंह) 7/2/17
प्रधान सचिव